Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

131-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 27, 2026 (BHADRA 5, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 27th August, 2026

No. 19-HLA of 2026/105/14716.— The Haryana Goods and Service Tax (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 19- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2026.

(2) The provisions of sections 2 to 4 shall come into force from such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint different dates for commencement of different provisions of this Act.

Amendment of section 15 of Haryana Act 19 of 2017.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), for clause (b) of sub-section (3) of section 15, the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) after the supply has been effected, if for such discount, a credit note has been issued by the supplier and input tax credit as is attributable to such discount has been reversed by the recipient of the supply, in accordance with the provisions of section 34.".

Amendment of section 34 of Haryana Act 19 of 2017.

3. In sub-section (1) of section 34 of the principal Act, after the words "both supplied are found to be deficient", the words, brackets, letter and figures "or where a discount referred to in clause (b) of sub-section (3) of section 15 is given" shall be inserted.

Amendment of section 54 of Haryana Act 19 of 2017.

4. In section 54 of the principal Act,-

(a) in sub-section (6), after the words "supply of goods or services or both" the words, brackets and figures "or of unutilised input tax credit allowed under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3)" shall be inserted;

(b) in sub-section (14), after the words, brackets and figures "sub-section (5) or sub-section (6)", the words", other than cases where refund of tax is claimed on account of goods exported out of India with payment of tax," shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

2. It is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 on the basis of the recommendations made by the GST Council and on the lines of amendments carried out in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 by Finance Act, 2026 (Central Act 4 of 2026).

3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026, *inter alia*, provides for the following, namely:—

(i) to amend sub-section (3) of section 15 of the Act to do away with requirement of linking the post-sale discount with an agreement specifically linked to relevant invoices and to refer to issuance of credit note under section 34 where the input tax credit is reversed by the recipient.

(ii) to amend section 34 of the Act so as to include the reference of discount referred under clause (b) of sub-section (3) of section 15 in the said section for issuing credit notes for post-supply discounts.

(iii) to amend sub-section (6) of section 54 of the Act to extend the provisions of provisional refund to refunds arising out of inverted duty structure

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

CHANDIGARH:
The 27th August, 2026.

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 19 एच.एल.ए.

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) धारा 2 से 4 के उपबन्ध ऐसी तिथि से लागू होंगे, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेः

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ हेतु भिन्न–भिन्न तिथियां नियत कर सकती है।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 15 का संशोधन।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात्, यदि ऐसी छूट के लिए, प्रदायकर्ता द्वारा धारा 34 के उपबंधों के अनुसार कोई जमा पत्र जारी किया गया है और ऐसी छूट के कारण इनपुट कर प्रत्यय को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 34 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (1) में, "दोनों में कमी पाई जाती है" शब्दों के बाद, "या जहां धारा 15 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट छूट दी जाती है" शब्द, कोष्ठक, वर्ण तथा अंक रखे जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उप–धारा (6) में, "मालों या सेवाओं या दोनों की शून्य दर के मद्दे प्रतिदाय के दावे" शब्दों के बाद, "या उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन अनुमत उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय" शब्द, कोष्ठक तथा अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप–धारा (14) में, "उपधारा (5) या उपधारा (6)" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों से पूर्व, "मामलों, जहां कर के भुगतान के साथ भारत से बाहर निर्यात किए गए मालों के कारण कर के प्रतिदाय का दावा किया गया है, से भिन्न" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. जीएसटी परिषद् की सिफारिशो के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का केन्द्रीय अधिनियम 4) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।

3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात्:–

(i) बिक्री के बाद मिलने वाली छूट को खास तौर पर संबंधित बीजक से जुड़े अनुबंध से जोड़ने की ज़रूरत को खत्म करने और धारा 34 के अधीन क्रेडिट नोट जारी करने का ज़िक्र करने के लिए, जब प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय को उलट किया जाना है के लिए अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (3) में संशोधन करना ।

(ii) अधिनियम की धारा 34 में संशोधन करना ताकि बिक्री के बाद की छूट के लिए क्रेडिट नोट जारी करने के मकसद से, धारा 15 की उप–धारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छूट का ज़िक्र इस धारा में शामिल किया जा सके।

(iii) अधिनियम की धारा 54 की उप–धारा (6) में संशोधन करना ताकि इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से मिलने वाले प्रतिदाय पर भी अनंतिम प्रतिदाय के प्रावधान लागू किए जा सके।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

12828—H.V.S.—H.G.P., Pkl.